

पन्नाधाय कॉलेज टोंक

(BA B.Ed/B.Sc B.Ed)

पन्नाधाय मार्ग, झीतल होटल के पीछे, एन.एच.-12, टोंक
फोन नं. - 9829120372 ई-मेल :- mdvsstonk@gmail.com

क्रमांक :-

दिनांक :-

सेवामे,

श्रीमान उपकुल सचिव महोदय,
(शैक्षणिक विभाग-11)
मदसविवि अजमेर

विषय:- बीए बी.एड./बीएससी बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से
2024-25 तक की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि बाबत।

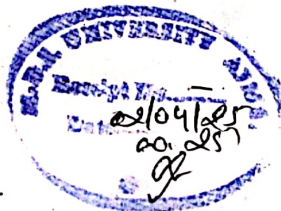
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में बीए बी.एड.
एवं बीएससी बीएड सत्र 2020-21 से 2024-25 तक की अस्थायी
सम्बद्धता वृद्धि हेतु निम्न दस्तावेज सलग्न है:-

1. महाविधालय मे सत्र 2020-21 से 2024-25 तक मे कार्यरत विभागाध्यक्ष व शिक्षको को इसी महाविधालय मे कार्यरत रहने सम्बन्धि फोटो लगे मूल शपथ पत्र सलग्न है।
2. बी.एड./बीएससी बीएड सत्र 2020-21 से 2024-25 तक मे क्रय की गई 200 शीर्षको पुस्तको को बिलो की मय परिग्रहण पंजिका को सत्यापित प्रतियां सलग्न है।
3. राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 से 2024-25 हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
4. महाविधालय द्वारा आरक्षित कोष की एफडीआर की प्रति संलग्न है।
5. महाविधालय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट मय दस्तावेजो के साथ सलग्न है।
6. महाविधालय में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विधार्थियो की यूजीसी के नियमानुसार कांलाश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित कर ली गई है।
7. महाविधालय वेबसाईट व ई-मेल पते की सूचना मे कोई परिवर्तन नही है।

अतः अनुरोध है कि महाविधालय की बी.एड./बीएससी बीएड सत्र 2020-21 से 2024-25 तक की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि प्रदान करावे।

सलग्न:-उपरोक्तानुसार



Handwritten signature.

Principal
Pannadhai College, Tonk
पन्नाधाय कॉलेज टोंक

पन्नाधाय कॉलेज टोंक

पन्नाधाय मार्ग, शीतल होटल के पीछे, एन.एच.-12, टोंक
फोन नं. - 9667333319 Gmail - pannadhaycollege@gmail.com

क्रमांक :- PDC/TB/NK/2025/1078

दिनांक :- 13-01-2025

सेवामें,

श्रीमान कुलसचिव (शैक्ष-11)

मदसवि वि अजमेर

विषय:- पन्नाधाय कॉलेज सत्र 2023-24 तक की बीए एवं
बीएससी कोर्स की सम्बद्धता जारी करवाने के क्रम में।

संदर्भ:- NCTE/WRC/2526202403042040/Rajasthan/2024/SCN
Dated 27-12-2024 के क्रम में।

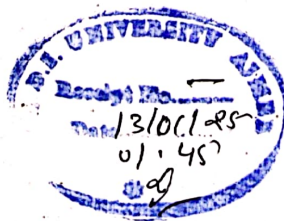
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार की ITEP
ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन में आवेदन किया गया था। जिसमें पन्नाधाय
कॉलेज की सत्र 2023-24 तक की सम्बद्धता की कमी पाई गई है।
आप द्वारा अभी तक सत्र 2023-24 तक की सम्बद्धता जारी नहीं
की गई है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पन्नाधाय कॉलेज की बीए एवं
बीएससी कोर्स की सत्र 2023-24 तक की सम्बद्धता जारी करने की
कृपा करें।

सलग्न:-

1. NCTE Show Cause Notice Copy
2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी बीए एवं बीएससी की अन्तिम सम्बद्धता



प्राचार्य
पन्नाधाय कॉलेज टोंक

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (116) आकाशि/अनु/2009/ 755

दिनांक:- 25/7/2012

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी रात्र 2012-13 से पूर्व में आवंटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	116	पन्नाधाय कालेज	पन्नाधाय मार्ग, रिलायन्स पेट्रोल पम्प के सामने, एन.एच.-12 के पास, टोंक	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व आवंटित विषय/संकाय तथा स्नातक स्तर पर कला संकाय में नवीन विषय उर्दू, बी.कॉम, बी.एस.सी. कोर्स, पी.जी.डी.सी.ए.

नोट- संस्था 6 माह में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्टाफ का अनुमोदन पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय-2 पर यूजी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से गुल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. निदेशालय महाविद्यालयों को यूजी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

निदेशक

कालेज शिक्षा राज0 जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, टोंक।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय
8. सांख्यिकी शाखा, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्र. : एफ 4 (कॉ 72) आकाशि/अनु/09/5061

दिनांक 9 जुलाई, 2009

आदेश

सत्र 2009--10 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए 'अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किया जाता है-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
1	CO72	सचिव, मानव धर्म विकलांग सेवा संस्था, गोविन्दपुरा बासोड़ा, टोडारायसिंह-टोंक	पन्नाधाय कॉलेज, पुराना बिचकुडी रोड, एन.एच.12 के पास, टोंक	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, इतिहास, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान। बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए.

- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू. जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
- संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
- संस्था को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि एवं भवन तथा स्टाफ को उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होंगे।
- महाविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि-भवन में अन्य किसी शिक्षण संस्था का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- संस्था को 30 सितम्बर, 2009 तक योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता तथा अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुमोदन सहित आयुक्तालय को सूचित करना होगा।
- संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/ दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।



10

MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER
No. F.14 (442) Acad. II/ MDSU/2023/ Dated:

The Principal,
Pannadhay College,
Pannadhay Marg, N.H. 12,
Near Sheetal Hotel,
Tonk-304001

Subject:- Extension in provisional affiliation.

Dear Sir,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above. I am directed to inform you that on the recommendations of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the subject(s) mentioned below for the academic session as mentioned against each subject to fulfillment of the conditions mentioned overleaf during the aforesaid period:-

Class	Subject(s)	Session	Seats
BA	(Sociology, Sanskrit, Economics, Drawing & Painting, Geography, History, Home Sc., Hindi Litt., Pub. Admn, Pol. Sc. and Compulsory Papers)	2015-2016	400
		2016-2017 to	480
		2021-2022	
Addl. Sub.	Urdu	2015-16 to	
		2021-2022	
B.C.A.		2015-16 to	60
		2021-2022	
B.Sc.	(Chemistry, Zoology, Botany, Physics, Mathematics and Compulsory Papers)	2018-2019	210
		2019-2020	280
		2020-2021 to	350
		2021-2022	
PGDCA		2017-2018 to	40
		2021-2022	
M.Sc. I.T.		2017-2018 to	20
		2021-2022	
M.A. Geography		2017-2018 to	40
		2021-2022	
M.A. Urdu		2017-2018 to	40
		2021-2022	
M.A. History		2017-2018 to	40
		2021-2022	

नोट: महाविद्यालय को सत्र 2015-2016 से 2021-2022 की संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक: 16023-40 दिनांक 03.06.22 के क्रम में वि.वि. रसीद सं. 0000402 दिनांक 16.06.22 के द्वारा आर्थिक दण्ड रु. 3,50,000/- व बी.एससी. पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक 1492 दि. 09.01.23 द्वारा शुल्क रु. 1,50,000/- रसीद सं. 0002569 दि. 04.02.23 द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने एवं एवं महाविद्यालय के विरुद्ध कोई आर्थिक दण्ड/शुल्क भी देय/बकाया रहा हो तो महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने तथा विश्वविद्यालय पत्रांक 16023-40 दिनांक 03.06.22 व 1492 दि. 09.01.23 में दर्शाई गई कमियों की पूर्ति कर मय दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किये जाने के अध्यक्षीन प्रदान की गई है अन्यथा आगामी सत्र में विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। महाविद्यालय सत्र 2022-23 की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु दस्तावेज भिजवाया जाना सुनिश्चित करें

It may be noted that the application for extension in provisional affiliation/fresh/permanent affiliation for the session 2022-2023 along with the necessary fee as prescribed may be sent through proper channel (failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected) together with a report about the fulfillment of the conditions of the affiliation up to 31st December, 2021. If already deposited, need not to deposit.

Yours faithfully,

Sd/-
Dy. Registrar (Acad.II)
Dated 6/2/23

No. F.14 (442) Acad. II/ MDSU/2023/ 140 25-31

Copy forwarded to the following:

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, J.L.N. Marg, Jaipur.
2. The Joint Sectarary, Higher Education (Gr.IV) Department, Government of Rajasthan, Jaipur.
3. The Controller of Examination, M.D.S.U., Ajmer.
4. The Dy. Registrar/S.O. (Exam. UG Arts/ Science/Secy.), MDSU, Ajmer.

Y/L
Section Officer (Acad II)